

होशियार बनें!

अधिकृत संस्थाओं से ही ऋण लें.



अधिकृत संस्थाओं से ही ऋण क्यों लेना चाहिए:

- 1 बैंक और रजिस्टर्ड फ़ाइनेन्स कंपनियाँ आरबीआई द्वारा विनियमित होती हैं
- 2 सही कार्यप्रणाली का पालन न करने पर शिकायतों के निवारण का प्रावधान है



rbikehtahai

इस संदेश पर फीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें



आरबीआई कहता है...
वित्तीय अनुशासन,
चिंता मुक्त जीवन



जनहित में जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in